


**उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर**  
**// आदेश //**

क्रमांक D/1533 / जबलपुर, दिनांक 27/03/2023  
चार-12-15/99 भाग-चौदह

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 11/1/2008/नियम/चार, भोपाल, दिनांक 24-01-2008, समसंख्यक पत्र दिनांक 01-04-2008, दिनांक 04-08-2008 एवं दिनांक 24-09-2008 एवं मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ 11-13/1661/2016/नियम/चार भोपाल, दिनांक 21-09-2016, परिपत्र क्रमांक एफ 11-5/211/2017/नियम/चार भोपाल, दिनांक 25-05-2017, तथा मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के परिपत्र फा.क्र. 2384/2017/21-ब (एक), भोपाल, दिनांक 31-05-2017/08-06-2017 एवं परिपत्र फा.क्र. 4151/2017/21-ब (एक), भोपाल, दिनांक 25-09-2017 के परिपेक्ष्य में उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ इंदौर के निम्नांकित आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले वाहन चालकों को उनके द्वारा 10 वर्ष, 20 वर्ष एवं 30 वर्ष की सेवा पूर्ण करने के फलस्वरूप उन्हें वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 24-09-2008 के संलग्न परिशिष्ट में वाहन चालक हेतु देय उच्चतर वेतनमान अनुसार उनके नाम के समक्ष दर्शाई गई दिनांक से प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय समयमान वेतनमान स्वीकृत किया जाता है :-

क्रं.	कर्मचारी का नाम	प्रथम समयमान वेतनमान स्वीकृति का दिनांक	द्वितीय समयमान वेतनमान स्वीकृति का दिनांक	तृतीय समयमान वेतनमान स्वीकृति का दिनांक
1.	श्री राजेन्द्र सभारी,	-	14-12-2020	
2.	श्री पर्वत सिंह चौहान,	-	-	10-11-2022
3.	श्री राजेन्द्र शर्मा,	25-09-2022	-	-
4.	श्री जफर खान,	09-11-2022	-	-

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय  
के आदेशानुसार

  
(रामकुमार चौबे)  
\* रजिस्ट्रार जनरल

पृष्ठांकन क्रमांक D/1534 / जबलपुर, दिनांक 27/03/2023  
चार-12-15/99 भाग-ग्यारह

प्रतिलिपि :-

1. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ इंदौर की ओर इस अनुरोध के साथ कि उच्चतर वेतनमानों में शासकीय सेवक का वेतन नियतन पश्चात् वेतन नियतन की जांच संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक, कोष-लेखा एवं पेंशन से करा ली जाए,
2. प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ ग्वालियर,
3. रजिस्ट्रार, प्रशासन/कम-पी.पी.एस., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
4. चीफ सिस्टम एनालिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर, की ओर आदेश की प्रति उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
5. ओ.एस.डी. (लेखा), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
6. डिप्टी कंट्रोलर एकाउंट्स, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
7. एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर (न्यायिक) स्था./लेखा/बजट/पेंशन, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
8. रजिस्ट्रार जनरल महोदय के निजी सचिव, उच्च न्यायालय म.प्र., जबलपुर,
9. सहायक स्थापना/लेखा/बजट/सेवा पुस्तिका/वेतन निर्धारण, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
10. दो अतिरिक्त प्रति सहित ऑफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
11. श्री राजेन्द्र संभारी, वाहन चालक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ इंदौर,
12. श्री पर्वत सिंह चौहान, वाहन चालक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ इंदौर,
13. श्री राजेन्द्र शर्मा, वाहन चालक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ इंदौर,
14. श्री जफर खान, वाहन चालक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खंडपीठ इंदौर, की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

  
(विकास चन्द्र मिश्रा)  
‡ रजिस्ट्रार (प्रशा.)